मुख्य सड़क के किनारे से लगी जमीन पर हो रही थी अवैध प्लाटिंग, निगम ने की बड़ी कार्रवाई, मुरूम जब्त कर मार्ग संरचना को किया ध्वस्त , निर्माणाधीन स्ट्रक्चर को भी ढहाया, अवैध प्लाटिंग कर्ता को निगम ने थमाया नोटिस, उचित कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार को लिखा पत्र

भिलाई नगर/ भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मुख्य सड़क के किनारे कोहका भेलवा तालाब के पास नगर पालिक निगम भिलाई ने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर तोड़फोड़ दस्ता की टीम ने एक जेसीबी और एक डंपर के माध्यम से मौके पर 3 ट्रिप मुरूम को जप्त किया तथा मार्ग संरचना को ध्वस्त किया। शिकायत प्राप्त हुई थी कि भेलवा तालाब के पास खसरा नंबर 66 की भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग किया जा रहा है लगभग 3 एकड़ क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें निगम को मिली थी। निगम की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान भवन अनुज्ञा विभाग के उप अभियंता सिद्धार्थ साहू , सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर आदि मौके पर मौजूद थे। मौके पर अवैध निर्माणाधीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भी निगम ने तोड़ दिया। भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध प्लाटिंग करने वाले डब्ल्यू एम वैद्य को निगम ने नोटिस जारी किया है। निगम ने नोटिस में लिखा है कि अवैध प्लाटिंग के संबंध में जवाब देवें , संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देने की दशा में क्यों न कड़ी कार्रवाई की जाय। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि अवैध प्लाटिंग पर कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष का कारावास से तथा न्यूनतम 1 लाख के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इधर निगम ने रजिस्ट्रार कार्यालय को भी उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र प्रेषित किया है। गौरतलब है कि निगम आयुक्त ने अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाना प्रारंभ कर दिया है , अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण, अवैध कब्जा पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।